बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर अन्तर्गत मकवा–शान्तिनगर आर0ई0ओ0 पथ से सरौन तक सम्पर्क पथ में कियान्वित कार्य की तृतीय चालु विपत्र तक बिना मापी जाँच किये भुगतान की कार्रवाई करने, वित्तिय अनियमितता बरतने एवं दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार नहीं करने संबंधी आरोप में श्री ओमनाथ चौधरी, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–3039 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राकेश रंजन पाण्डेय, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री चौधरी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में प्रतिवेदित किया गया कि उक्त पथ का कार्य स्थल कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर के कार्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट हाईवे संख्या–22 के पास है। इस पथ का प्रथम छोर मकवा शांतिनगर आर0ई0ओ0 पथ के पास सरौन से प्रारंभ होता है तथा इस पथ का दूसरा अंतिम छोर स्टेट हाईवे संख्या–22 में जुड़कर समाप्त हो जाता है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर अथवा अधीक्षण अभियंता, मुंगेर के समीक्षा बैठकों में भाग लेने हेतु प्रत्येक माह में कई बार इसी पथ का उपयोग कर जिला मुख्यालय आना जाना करता था साथ ही संबंधित पथ का निरीक्षण भी कर लिया करता था। संबंधित पथ कस्ट की मोटाई को भी जाँच कर आश्वस्त हो लेता था। मैं पथ निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर हमेशा ध्यान केन्द्रित रखता था। निर्माण कार्य से शत प्रतिशत/पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही मेरे द्वारा मापी पुस्तिका पर C&P किया गया था। निगरानी विभाग के जाँच प्रतिवेदन में उक्त पथ का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप पाया गया है किसी प्रकार का अनियमितता हुआ नहीं माना गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर निर्णय के कम में संबंधित संचिका दिनांक 11.05.2022 को विश्वेश्वरैया भवन में लगी भीषण आग की घटना में जलकर नष्ट हो गयी। जाँच प्रतिवेदन न तो संचालन पदाधिकारी के पास संधारित है और न ही आरोपित पदाधिकारी को भेजा गया था। उक्त के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 2155 दिनांक 09.10.2023 द्वारा श्री चौधरी से अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में श्री चौधरी द्वारा तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समर्पित स्पष्टीकरण, विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित संकल्प संख्या–3039 दिनांक–30.10.2016, आरोप पत्र एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान की छायाप्रति संलग्न कर लगभग दस वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त होने का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मामले को समाप्त कर दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही श्री चौधरी द्वारा पुनः अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें मामले से संबंधित कनीय अभियंता, श्री महेश रजक के विरूद्ध आरोप में कोई वित्तिय क्षति नहीं दर्शाते हुए श्री रजक को आरोप मुक्त कर दिये जाने का उल्लेख करते हुए स्वयं के मामले के संदर्भ में भी शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त स्पष्ट हुआ कि मामले में नियुक्त संचालन पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथ ही इसी मामले में तदेन कनीय अभियंता भी आरोप मुक्त हो चुके है। उपर्युक्त को दृष्टिपथ रखते हुए श्री चौधरी, को सेवानिवृत्ति के लगभग 12 वर्षों के बाद पुनः विभागीय कार्यवाही के अधीनस्थ किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। इस आलोक में श्री ओम नाथ चौधरी तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को परिस्थितिजन्य कारणों से वापस लेने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः श्री ओम नाथ चौधरी तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को परिस्थितिजन्य कारणों से वापस लेते हुए प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–293/2013 (Recast) 2188 /पटना, दिनांकः– 24.2.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–293/2013 (Recast) 2188 /पटना, दिनांकः– 24.2.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/25

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–293/2013 (Recast) 2188 /पटना/दिनांकः– 24.2.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री ओम नाथ चौधरी तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त, (पत्राचार का पताः– ग्राम–चाकन्द बाजार, पोस्ट– चाकन्द, जिला–गया, बिहार, पिनकोड–804404) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/25

अवर सचिव